पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 10/8/23 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

10.08.23

पत्रावली पेश। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों मय अपील, जवाब का अवलोकन किया गया। उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी व रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत Citations व न्यायिक दृष्टांतों का भी अवलोकन व मनन किया गया।

वर्तमान अपील के द्वारा संक्षेप में पुत्रियों द्वारा अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में हक-हिस्सा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण को अपास्त कर, चाहा है।

उक्त अपील में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6(1) में संशोधन स्वरूप उत्पन्न स्थिति व उक्त संशोधन द्वारा पुत्रियों को, पुत्रों के बराबर पैतृक सम्पत्ति में हक-हिस्सा दिया गया था। उक्त संशोधन 09-09-2005 से प्रभावी है। उक्त संशोधन उपरांत यह स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि क्या 09.09.2005 को जिस पैतृक सम्पत्ति से हक-हिस्सा चाहा है, उस दिन व उसके पश्चात पुत्री व पिता का जिंदा होना आवश्यक है अथवा नहीं? जिस कारण विभिन्न न्यायालयों द्वारा विरोधाभासी निर्णय पारित किए गए।

उक्त स्थिति को स्पष्ट करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिता शर्मा Vs राकेश शर्मा

में यह निर्णय पारित किया गया कि उपर्युक्त संशोधन Retrospectively लागू है, जिसे यह जरूरी नहीं कि उक्त अधिनियम के संशोधन की दिनांक को पिता व पुत्री जिंदा हो। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय में अपवाद स्वरूप जिन संपत्तियों का विधिवत विभाजन/बँटवारा 20.12.2004 से पूर्व हो चुका हो, उन पर पुनः विचारण नहीं होगा का सिद्धान्त प्रतिपादित किया।

वर्तमान प्रकरण में जरिए नामान्तरकरण 20.04.2001 को अपीलार्थीगण संपत्ति का विधिवत उत्तराधिकारियों के मध्य बँटवारा/नामान्तरकरण हो चुका है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त वर्णित निर्णय की अपवाद श्रेणी में आने से अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है, जिसका विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)